2.18

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अह जो इस हुक्म की ता में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13 3/19. | पत्रावली पेश हुयी। वादी-प्रतिवादी की बहस 7-11 पर सुनी गई बाबत निर्णय पत्रावली दिनांक 26 3/19 को पुनः पेश हो<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा | |
| 26 3/19. | पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत CPC 07. Rule 11 के प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थनापत्र CPC 07. R. 11 स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली किया जाय। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय सार उभयपक्ष सुनाया जाये।<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा | |

1

पीठासीन अधिकारी : डॉ. वार सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 03/2017

1– श्री सोनाराम पुत्र कालाराम जाति–गमेती निवासी–उडवारिया तहसील–पिण्डवाडा, सिरोही

________ वादी

बनाम्

1– श्री मालम सिंह पुत्र पाबुदान सिंह

2– श्री अर्जुन सिंह पुत्र पाबुदान सिंह

3– श्री भवानी सिंह पुत्र पाबुदान सिंह

4– मोहनी कुँवर पुत्र पाबुदान सिंह

5– सुजा देवी पत्नी पाबुदान सिंह

6– दलपत सिंह पुत्र समुद्र सिंह पुत्र श्री पाबुदान सिंह

7– खुश्बु कुँवर पुत्री समुद्र सिंह

8– नरेन्द्र सिंह पुत्र रतन कुँवर पुत्री पाबूदान सिंह

9– वेदान्त सिंह पुत्र रतन कुँवर

10– पूजा कुँवर पुत्री रतन कुँवर

11– मनीषा कुँवर पुत्री रतन कुँवर रतन कुँवर उम्र व्यस्क समस्त जातियान्–राजपुत निवासीयान्–एरनपुरा हॉल–पातुम्बरी तहसील–पिण्डवाडा, जिला–सिरोही ।

........ प्रतिवादीगण

# राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92

# राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :––

1– श्री पी.एल. दवे अधिवक्ता वादी की ओर से ।

2– श्री राजेन्द्र सिंह आढा प्रतिवादीगण की ओर से ।

दिनांकः– 10–04–2019

निर्णय

प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से दिनांक–25–7–2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वरसाधिकारी पाबूदानसिंह पुत्र श्री गणेशसिंहजी जाति– राजपूत जो कि सेना मे होने से उन्हे राज्य सरकार के नियमनुसार मौजा–उडवारिया पटवार क्षैत्र भीमाणा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या–141 मे 17–00 बीधा का आवंटन कर श्री पाबूदानसिंह के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण दायर किया गया था एवं नियमानुसार खातेदारी उनके नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था । आवंटन के पश्चात् से लगातार पाबूदानसिंह की ओर से वादग्रस्त आराजी पर काश्त की गई तथा करवायी गई स्व. पाबूदानसिंह का दिनांक–28–08–1996 को देहावसान हो चुका है तथा प्रतिवादीगण स्व. पाबूदानसिंह के कायम मुकाम व वारिसान् है जिनके नाम नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की है जिनके नाम राजस्व रेकर्ड मे गैर खातेदार दर्ज है ।

यह कि वादी ने यह जानते बुझते की वादी का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है [illegible]

बताते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित दिशा निर्देशो के अनुसार एडवर्स पजेशन का सिद्वान्त खातेदार/गैर खातेदार के विरूद्व लागु नही होता है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं कानूनन परिपोषणीय नही है ।

यह कि वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण पैदा नही होता है तथा वादी ने अपने वाद मे बिनाये वाद व बिनाये मुखासमत को डिस्क्लोज नही किया है जिससे वादी का उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत रिजेक्ट किये जाने योग्य है ।

प्रतिवादी के इस प्रार्थना पत्र का वादी अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कब्जा वादी का ही है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार के विरूद्व वाद नही लाया जा सकता है परन्तु गैर खातेदार के विरूद्व एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद ला सकते है प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता गण की बहस सुनी गयी दौरान् बहस प्रतिवादीगण संख्या–01 के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त RRT 2011-12 [Supp.] पेज 401 प्रस्तुत की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पक्षकरान् की बहस पर मनन किया उक्त सभी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मौजा–उडवारिया के खसरा संख्या–141 रकबा–17 बीघा का आवंटन श्री पाबुदान सिह पुत्र श्री गणेशसिंह कौम–राजपुत निवासी–एरनपुरा हॉल पातुम्बरी को आवंटित की गई थी तथा उसका बतौर गैर खातेदार के रूप मे नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया था । पाबुदान सिंह की मृत्यु पश्चात् नामान्तरकरण संख्या.838 दिनांक–13–10–2016 को प्रतिवादी संख्या–01 ता 11 के नाम नियमानुसार दायर किया गया है प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से वादग्रस्त आराजी की गिरदावरी की नकले पेश की है उनका अवलोकन करने से वादग्रस्त आराजी पर नियमति काश्त होना जाहिर होता है तथा गिरदावरी मे भी पाबुदान सिंह व प्रतिवादी सख्या–01 ता 11 के नाम दर्ज है इस प्रकार पाबुदान सिह व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर बत्तौर गैर खातेदार के रूप मे काबिज काश्त होनाय प्रमाणित है । प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी सुसम्मान अवलोकन किया जिससे भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि गैर खातेदारी भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के सिद्वान्त के आधार पर कब्जेधारी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है । इस प्रकरण मे तो वादी का कब्जा भी प्रमाणित नही होता है ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद कानूनन परिपोषणीय नही है ।

अतः प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है ।

( डॉ. वार सिंह )
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर वाड़ा (राजस्थान)

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक–10–04–2019 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( डॉ. वार सिंह )
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा